## Government of National Capital Territory of Delhi

# **DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITY**

B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi-110002 Ph:23379511 Fax:23379513, Website: scstwelfare.delhigovt.nic.in

**CLOSING DATE: 18.09.2015** 

Scholarship Amount in (₹ Per Month) for 10 month

Principal Secy. (SC/ST/OBC/MIN.)

SCHOLARSHIP SCHEME FOR SC STUDENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2015-16

PRE MATRIC SCHOLARSHIP FOR

STUDENTS BELONGING TO SCHEDULED CASTES STUDYING IN CLASSES IX & X

(Centrally Sponsored Scheme-Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India)

ATTENTION: Scheduled Caste students of class IX & X of all Government School or studying in pvt. school recognized or central/state Board of Secondary Education

Applications are invited from eligible students (as per criteria given below) for providing financial assistance to the students to pursue their studies

# 1. ESSENTIAL CONDITIONS FOR SCHOLARSHIP

- (a) Students should be belong to Schedule Caste of Delhi State. (b) His/Her parent/guardian's income should not exceed ₹2 Lakh per annum.
- (c) He/She should not be getting any of other Centrally Funded Pre-Matric Scholarship.
- (d) The Scholarship will be given to the students of Classes IX and X who are studying in a Government School
- or in Pvt. School recognized by Govt. or Central/State Board of Secondary Education (e) Failed students of class IX and X strictly not allowed.
- (f) No percentage of Marks required
- (g) Self declaration of family income in the prescribed format is required
- (h) Self attested copy of caste certificate issued by the competent authority should be attached with application.
  - Domicile Certificate of Delhi if the caste certificate is not issued by the competent authority of Govt. of NCT of Delhi.
- (i) A student is allowed to avail the scholarship who should not be getting any centrally funded Pre-Matric scholarship. But Students availing Pre-Matric scholarship of Delhi Govt. can avail this scholarship over and above the Delhi Govt's pre-matric scholarship schemes. (j) Aadhar seeded By bank account should be in the name of student.
- (k) An income declaration by the self-employed parents/guardians, stating definite income from all sources by way of self declaration in prescribed format. Employed parents / guardians are required to obtain income certification from their employer and for any additional income from other sources they would furnish declaration.

### 1. RATE OF SCHOLARSHIPS S.No. Category

1.	Scheduled Caste	IX to X	₹ 150 (per month)	₹ 350 (per month)
2.	Book and Ad-hok Grant (₹ Per annum)	IX to X	₹ 750 (per annum)	₹ 1000 (per annum)

### **HOW TO APPLY** 3.

(a) Application form can be downloaded from the Deptt. website i.e., www.scstwelfare.delhigovt.nic.in (b) Eligible students studying in schools (Govt. & Govt. aided) affiliated to Dte of Edn. delhi Govt/N.D.M.C./Delhi

Class

- cantonment Board / Kendriya Vidyalya Sangathan may submit their forms to Head of school/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed Performa as well as soft copy to the department. (c) Eligible student studying in Recognized Public Schools, National Open Schools and other schools
- approved by Government but not falling under any of these above category, may submit their form to Head of Schools/principal who in turn may submit the consolidate proposal in the prescribed Performa as well as soft copy to the department. \*\*\* The Head of school as mentioned above at b & c shall keep the application forms of the students and other
  - supporting documents such as self attested copy of caste certificate, previous class mark sheet self declaration for income etc. For their record which may be checked by this Department at any time.

2. OTHER CONDITIONS (a) Individual application shall not be entertained Head of School must ensure that no eligible SC students is left out and consolidated list of students in the prescribed Performa should be sent to concerned office indicated

above. The Modal Officer of the concerned Department/ Organisation should forward the complete proposal (in soft copy as well as hard copy as per prescribed Performa which may be downloaded from the website of department) to 18-09-2015. Application/proposals received after the last date will be rejected outright. On forwarding letter name of scheme clearly indicated. Format of Application form consolidated statement (to be filled by Head of School. Concerned ) electronic

clearing service performa in respect of students may be downloaded from the Department's website:

www.scstwelfare.delhigovt.nic.in For further details and application form please log on to the website i.e, www.scstwelfare.delhigovt.in DIP/0748/2015-16

AADHAR CARD seeded with Bank account of the applicant is mandatory in the scheme

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

# अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

द्वितीय तल, बी–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

फोनः 23379511 फैक्सः 23379513 वेबसाइटः www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

अनुसूचित जाति के छात्रों हेत् वित्तीय वर्ष 2015–16 की छात्रवृत्ति योजना कक्षा 9 एवं 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित)

ध्यान दें: सरकारी स्कूलों केन्द्रीय / राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 9 एवं 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र

पात्र विद्यार्थियों (नीचे दिए मानदंडों के अनुसार) से उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु आवेदन

छात्रवृत्ति के लिए अनिवार्य शर्ते

- (क) छात्र दिल्ली राज्य की अनुसूचित जाति से संबद्ध हो।
- (ख) उसके माता–पिता / संरक्षक की आय 2 लाख रूपए प्रति वर्ष से अधिक न हो ।
- (ग) वह केन्द्र सरकार की प्रायोजित कोई अन्य पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहा हो।
- . (घ) छात्रवृत्ति सरकारी स्कूल या केन्द्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 9 एवं 10 के
- छात्रों को दी जाएगी। (ड) कक्षा ९ एवं १० के अनुत्तीर्ण छात्रों को अनुमति नहीं है।
- (च) पात्रता के लिए अंकों का कोई प्रतिशत निश्चित नहीं है।
- (छ) निर्धारित प्रारूप में पारिवारिक आय की स्वतः घोषणा अपेक्षित है।
- (ज) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए। दिल्ली का निवासी होने का प्रमाण पत्र, यदि जाति प्रमाणपत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी न किया गया हो।
- (झ) ऐसे छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अनुमति है जो केन्द्र सरकार की अन्य कोई पूर्व–मैट्रिक छात्रवृत्ति न ले रहा हो। लेकिन दिल्ली
  - सरकार की पूर्व—मैट्रिक छात्रवृत्ति पाने वार्ले छात्र यह छात्रवृत्ति दिल्ली सरकार की पूर्व—मैट्रिक छात्रवृत्ति के अतिरिक्त ले सकते हैं।
- (ञ) आधार युक्त संयुक्त बैंक खाता छात्र के नाम से होना चाहिए। (ट)) स्व—नियोजित माता—पिता / संरक्षकों द्वारा नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हलफनामे के रूप में सभी स्त्रोतों से निश्चित आय दर्शाते
- हुए आय की घोषणा। नियोजित माता–पिता / संरक्षकों को अपने नियोक्ता से आय प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है और अन्य स्त्रोतों से किसी अतिरिक्त आय के लिए वे 10 रूपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर हलफनामे के माध्यम से घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

# छात्रवृत्ति की दरें

क्रम.सं.	श्रेणी	कक्षा	छात्रवृत्ति राशि (₹ प्रति माह) 10 माह के लिए			
1	अनुसूचित जाति	9 से 10	₹ 150 (प्रति माह)	₹ 350 (प्रति माह)		
2	पुस्तकें एवं तदर्थ अनुदान (₹ प्रति वर्ष)	9 से 10	₹ 750 (प्रति वर्ष)	₹ 1000 (प्रति वर्ष)		

## आवेदन कैसे करें:

- (क) आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।
- (ख) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार / एनडीएमसी / दिल्ली कैंट बोर्ड / केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ संबद्ध स्कूलों में पढ़ रहे पात्र छात्र अपने आवेदन स्कूल के प्रमुख / प्रिंसिपल को दें, जिनके द्वारा समेकित प्रस्ताव विहित प्रारूप में, सॉफ्ट प्रति कें साथ, इस विभाग में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ग) मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों, नेशनल ओपल स्कूलों तथा सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य स्कूलों जो उपरोक्त किसी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने फार्म स्कूल के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करा सकते हैं जो संगत दस्तावेजों सहित पूर्णतया भरे आवेदन पत्रों के साथ समेकित प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप तथा सॉफ्ट कापी इस विभाग में भेज सकते हैं।
- ऊपर ख एवं ग में वर्णित स्कूल अपने रिकार्ड हेत् छात्रों के आवेदन और अन्य सहायक दस्तावेज जैसे जाति प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, पिछली कक्षा की अंक तालिका, स्वघोषणा, हलफनामें इत्यादि सुरक्षित रखेंगे जिनकी इस विभाग द्वारा कभी भी जांच की जा सकती है।

# अन्य शर्ते

(क) व्यक्तिगत आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। स्कूल के प्रमुख सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति का कोई भी पात्र छात्र छूट नहीं जाए और छात्रों की समेकित सूची निर्धारित प्रारूप में ऊपर वर्णित संबंधित कार्यालय को भेज दी जाए। संबंधित विभाग / संगठन के नोडल अधिकारी पूर्ण प्रस्ताव (निर्धारित प्रपत्र, जो विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, के अनुसार सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में) उप निदेशक, छात्रवृत्ति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक), बी–ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, नई दिल्ली−110002 को 18.09.2015 को अथवा इससे पूर्व भेज दें। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन ∕ प्रस्ताव सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा। अग्रसारण पत्र पर योजना का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। आवेदन फार्म का प्रारूप, समेकित विवरण (संबंधित स्कूल के प्रमुख द्वारा भरने हेतु) स्कूल / विद्यार्थी के संबंध में इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग

सेवा प्रारूप विभाग की वेबसाइटः www.scstwelfare.delhigovt.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अधिक विवरण तथा आवेदन प्रपत्र हेत् कृपया वेबसाइटः www.scstwelfare.delhigovt.nic.in लॉग ऑन करें।

प्रधान सचिव (अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक) DIP/0748/15-16